टी०ए० मिस केस सं० 97/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
06-09-19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री रोशन कालुन्डिया**, पिता– स्व0 जुरिया कालुन्डिया, **ग्राम–टेकराहातु**, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **सिंहपोखरिया, थाना– 581,** खाता नं०–147, प्लॉट नं०–154, रक्वा– 0.12½ एकड़ भूमि क्रेता **श्री गोमेया हेस्सा,** पिता– **श्री अर्जुन हेस्सा,** ग्राम– **कांकी,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 347, दिनांक–. 3.08.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री **गोमेया हेस्सा, पिता– श्री अर्जुन हेस्सा,** ग्राम– **कांकी,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास 90,000.00/–(नब्बे हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता हैं कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **श्री रोशन कालुन्डिया,** पिता– स्व0 जुरिया कालुन्डिया, ग्राम– टेकराहातु, क्रेता **श्री गोमेया हेस्सा,** पिता– **श्री अर्जुन हेस्सा,** ग्राम– **कांकी,** थाना– मुफ्फसिल के पास 90,000.00/–(नब्बे हजार) रूपये मे मौजा– सिंहपोखरिया, थाना– 581, खाता नं०–147 प्लॉट नं०– 154, रक्वा– 0.12½ एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....अनुमति.....दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 6/9 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 6/9/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner